

---आदेश---

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित नियमावली-2008 के नियम-3 के उपनियम-2 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित मण्डल कार्यालय की सीमाओं को निम्नवत् निश्चित किया जाता है:-

क्र० सं०	राज्य कर मण्डल (सर्किल) का नाम	राज्य कर मण्डल (सर्किल) में सम्मिलित क्षेत्र	सम्बन्धित राज्य कर मण्डल (सर्किल) में शामिल खण्डों का विवरण
1	2	3	4
1	आगरा	जनपद आगरा	खण्ड-1 से 15 तक
2	इटावा	जनपद इटावा	खण्ड-1 से 3 तक
3	फर्रुखाबाद मु० फतेहगढ़	जनपद फर्रुखाबाद	खण्ड-1 से 3 तक
4	कन्नौज	जनपद कन्नौज	खण्ड-1 से 2
5	मैनपुरी	जनपद मैनपुरी	खण्ड-1 से 3 तक
6	फिरोजाबाद	जनपद फिरोजाबाद	खण्ड-1 से 3 फिरोजाबाद एवं खण्ड शिकोहाबाद
7	औरैया	जनपद औरैया	खण्ड-1 व 2
8	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़	खण्ड-1 से 10 तक
9	एटा	जनपद एटा	खण्ड-1 व 2
10	कासगंज	जनपद कासगंज	खण्ड-1 व 2
11	मथुरा	जनपद मथुरा (तहसील छाता को छोड़कर)	खण्ड-1 से 5 तक
12	कोसीकलॉ	जनपद मथुरा की तहसील छाता	एकल खण्ड
13	हाथरस	जनपद हाथरस	खण्ड-1 व 2
14	प्रयागराज	जनपद प्रयागराज	खण्ड-1 से 12 तक
15	प्रतापगढ़	जनपद प्रतापगढ़	खण्ड-1 व 2
16	फतेहपुर	जनपद फतेहपुर	खण्ड-1 से 3 तक
17	कौशाम्बी (मु० मंझनपुर)	जनपद कौशाम्बी	एकल खण्ड
18	बरेली	जनपद बरेली	खण्ड-1 से 9 तक
19	बदायूं	जनपद बदायूं	खण्ड-1 से 3 तक
20	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर	खण्ड-1 से 4 तक
21	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत	खण्ड-1 व 2
22	गौतमबुद्धनगर	जनपद गौतमबुद्धनगर	खण्ड-1 से 20
23	गाजियाबाद	जनपद गाजियाबाद	खण्ड-1 से 19 तक
24	मोदीनगर	जनपद गाजियाबाद का टाउन एरिया	एकल खण्ड

		मोदीनगर	
25	हापुड़	जनपद हापुड़	खण्ड-1 से 4 तक
26	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर (तहसील खुर्जा एवं सिकन्दराबाद को छोड़कर)	खण्ड-1 से 4 तक
27	खुर्जा	जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा	एकल खण्ड
28	सिकन्दराबाद	जनपद बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद	एकल खण्ड
29	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर	खण्ड-1 से 10 तक
30	बस्ती	जनपद बस्ती	खण्ड-1 से 3 तक
31	सिद्धार्थनगर	जनपद सिद्धार्थनगर	खण्ड-1 व 2
32	सन्त कबीरनगर	जनपद सन्त कबीरनगर	खण्ड-1 व 2
33	देवरिया	जनपद देवरिया	खण्ड-1 से 3 तक
34	महाराजगंज	जनपद महाराजगंज	खण्ड-1 से 3 तक
35	कुशीनगर	जनपद कुशीनगर	खण्ड-1 से 3 तक
36	अयोध्या	जनपद अयोध्या	खण्ड-1 से 4 तक
37	अम्बेडकरनगर (मु0 अकबरपुर)	जनपद अम्बेडकरनगर	खण्ड-1 व 2
38	सुल्तानपुर	जनपद सुल्तानपुर	खण्ड-1 से 3 तक
39	अमेठी	जनपद अमेठी	खण्ड-1 व 2
40	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी	खण्ड-1 से 4 तक
41	गोण्डा	जनपद गोण्डा	खण्ड-1 से 4 तक
42	बहराइच	जनपद बहराइच	खण्ड-1 से 2 तक
43	नानपारा	जनपद बहराइच की तहसील नानपारा	एकल खण्ड
44	बलरामपुर	जनपद बलरामपुर	खण्ड-1 व 2
45	श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती	एकल खण्ड
46	झाँसी	जनपद झाँसी	खण्ड-1 से 5 तक
47	ललितपुर	जनपद ललितपुर	एकल खण्ड
48	जालौन (मु0 उरई)	जनपद जालौन	खण्ड-1 व 2
49	बांदा	जनपद बांदा	खण्ड-1 एवं 2
50	चित्रकूट (मु0 कर्वी)	जनपद चित्रकूट	एकल खण्ड
51	हमीरपुर	जनपद हमीरपुर	एकल खण्ड
52	महोबा	जनपद महोबा	एकल खण्ड
53	कानपुर नगर	जनपद कानपुर नगर	खण्ड-1 से 21 तक
54	उन्नाव	जनपद उन्नाव	खण्ड-1 से 3 तक
55	कानपुर देहात (मु0 माती)	जनपद कानपुर देहात	खण्ड-1 व 2
56	लखनऊ	जनपद लखनऊ	खण्ड-1 से 23 तक
57	हरदोई	जनपद हरदोई	खण्ड-1 से 3 तक
58	रायबरेली	जनपद रायबरेली	खण्ड-1 से 4 तक



59	सीतापुर	जनपद सीतापुर	खण्ड-1 से 3 तक
60	लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी (तहसील पलियाकलां को छोड़कर)	खण्ड-1 से 3 तक
61	पलियाकलां	जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील पलियाकलां	एकल खण्ड
62	मेरठ	जनपद मेरठ	खण्ड-1 से 11 तक एवं खण्ड सरधना
63	बागपत	जनपद बागपत	एकल खण्ड
64	मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद	खण्ड-1 से 8 तक
65	अमरोहा	जनपद अमरोहा (तहसील हसनपुर व धनौरा को छोड़कर)	खण्ड-1 एवं 2
66	हसनपुर	जनपद अमरोहा की तहसील हसनपुर व धनौरा	एकल खण्ड
67	सम्भल	जनपद सम्भल की तहसील सम्भल	खण्ड-1 एवं 2
68	रामपुर	जनपद रामपुर	खण्ड-1 से 3 तक
69	चन्दौसी	जनपद सम्भल की तहसील चन्दौसी एवं गुन्नौर	खण्ड-1 व 2
70	बिजनौर	जनपद बिजनौर (तहसील धामपुर, नजीबाबाद एवं चॉदपुर को छोड़कर)	खण्ड-1 एवं 2
71	चॉदपुर	जनपद बिजनौर की तहसील चॉदपुर	एकल खण्ड
72	धामपुर	जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर	एकल खण्ड
73	नजीबाबाद	जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद	एकल खण्ड
74	सहारनपुर	जनपद सहारनपुर	खण्ड-1 से 8 तक
75	शामली	जनपद शामली	खण्ड-1 व 2
76	मुजफ्फरनगर	जनपद मुजफ्फरनगर (तहसील खतौली एवं तहसील जानसठ को छोड़कर)	खण्ड-1 से 4 तक
77	खतौली	जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ एवं तहसील खतौली	एकल खण्ड
78	वाराणसी	जनपद वाराणसी	खण्ड-1 से 16 तक
79	चन्दौली	जनपद चन्दौली	खण्ड-1 व 2
80	गाजीपुर	जनपद गाजीपुर	खण्ड-1 से 3 तक
81	जौनपुर	जनपद जौनपुर	खण्ड-1 से 5 तक
82	मिर्जापुर	जनपद मिर्जापुर	खण्ड-1 से 3 तक
83	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र	खण्ड-1 से 3 तक
84	भदोही	जनपद भदोही	खण्ड-1 से 3 तक
85	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़	खण्ड-1 से 5 तक
86	बलिया	जनपद बलिया	खण्ड-1 से 3 तक
87	मऊ	जनपद मऊ	खण्ड-1 से 3 तक

इस आदेश के उपरान्त मण्डल कार्यालयों की भौगोलिक सीमाओं के विनिश्चयन अथवा संशोधन हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेश अतिक्रमित समझे जाएंगे।
यह आदेश दिनांक 01-07-2025 से प्रभावी होंगे।


(डा० नितिन बंसल)

आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र सं० एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव राज्य कर, उ० प्र०, शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उ० प्र०।
5. अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उ० प्र० को पुनर्गठित खण्डों को अपने अभिलेख में सम्मिलित करते हुए तदनुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती की कार्यवाही हेतु।
6. संयुक्त आयुक्त (स्थापना-राजपत्रित) राज्य कर मुख्यालय को पुनर्गठित खण्डों को अपने अभिलेख में सम्मिलित करते हुए तदनुसार उपायुक्त/सहायक आयुक्त/ राज्य कर अधिकारी की तैनाती अथवा प्रभार दिये जाने की कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त (आई.टी./ जी.एस.टी.एन) राज्य कर, मुख्यालय को निर्देश के साथ कि इस आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही खण्डों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में व्यापारियों के सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्राधिकार के स्थानान्तरण हेतु विभागीय एवं जी.एस.टी.एन पोर्टल पर अपेक्षित समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कराने हेतु।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)/(वि० अनु० शा०) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त आयुक्त उच्चतम न्यायालय कार्य / उच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद / लखनऊ / प्रयागराज।
10. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।


30.6.25

(अमर नाथ यादव)

अपर आयुक्त (विधि) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।